

संख्या: 1-136 / 72-फिन[एल0ए0]खण्ड-13, -3409-3442
 हिमाचल प्रदेश सरकार,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग।

दिनांक, शिमला-171009,

20 JUN 2017

2017.

कार्यालय आदेश

सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ चयन कमीशन, हमीरपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर ₹16950/- (₹14100 + ग्रेड पे का 75% अर्थात् ₹3800 का 75%) प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है:-

Sr.No	Name of the candidate	Place of Reporting/ Joining
1.	Sh. Sunil Kumar, S/o Sh. Om Prakash.	Headquarter Office, Kasumpti, Shimla-9
2.	Smt. Neelam Sharma, W/o Sh Gopal Krishan.	-do-
3.	Sh. Mahender Singh, S/o Sh. Maan Singh.	-do-
4.	Sh. Pritam Chand, S/o Sh. Banasho Ram.	-do-
5.	Sh. Pawan Kumar, S/o Sh. Kuwar Singh.	-do-
6.	Sh. Shiv Kumar, S/o Sh. Krishan Chand.	-do-
7.	Sh. Hans Raj, S/o Sh. Jagdish Chand.	-do-
8.	Sh. Santosh Kumar, S/o Sh. Lahasa Ram.	-do-
9.	Sh. Rajeev Kumar, S/o Sh. Hem Raj.	-do-
10.	Smt. Anjna Kumari, W/o Sh. Susheel Kumar.	-do-
11.	Sh. Suneet Kumar, S/o Sh. Onkar Singh.	-do-

(क) नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्ते निम्नलिखित हैं:-

1. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹16950/- (₹14100 + ग्रेड पे का 75% अर्थात् ₹3800 का 75%) प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सन्तोषजनक कार्य पाए जाने पर आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹423/-की वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा और कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
3. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक माह के सेवाकाल के पश्चात एक दिवस के आक्रिमिक अवकाश का सुपात्र होगा। तथापि संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति 135 दिनों के मातृत्व अवकाश व दस दिनों के चिकित्सा अवकाश तथा पाँच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। संविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अकाल प्रसव की रिथ्ति में गर्भपात सहित, अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिन के मातृत्व अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या के निरपेक्ष) की भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश रियायत यात्रा इत्यादि का हकदार नहीं होगा। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
परन्तु अव्ययित आक्रिमिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेंगे तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जाएंगे।
4. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावर्सान (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर किया जा सकेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पहले सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना नवीनतम आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
8. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशान नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।
9. अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं हैं।
10. भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
11. अभ्यर्थी को संलग्न प्रपत्र पर सरकार के साथ करार हस्ताक्षरित करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के पश्चात् विभागीय प्रशिक्षण मैनुअल के प्रावधानानुसार तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।



(ख) नियुक्ति निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपियों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगी :—

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
 2. आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
 3. सचरित्रता का नवीनतम प्रमाण-पत्र, जोकि निर्धारित प्रपत्र पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
 4. आई.आर.डी.पी./अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।
 5. सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया गया नवीनतम आरोग्य प्रमाण-पत्र।
- (ग) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुई तो उम्मीदवार को किसी भी समय बिना किसी भुगतान के सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्यवाही, जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- (घ) इस नियुक्ति पर कार्यग्रहण के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों को ऊपर वर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वे इन आदेशों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या इससे पूर्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, ब्लॉक न0 38, कसुम्पटी शिमला-171009 में वांछित प्रमाण-पत्रों सहित करार हस्ताक्षरित और कार्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् यह नियुक्ति रद्द समझी जाएगी।


(डी0 डी0 शर्मा)

आई0 ए0 एस0

विशेष सचिव (वित) एवं निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन न0 0177-2620887

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1 उपरोक्त आधिकारियों को उनके गृह पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2 सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ चयन कमीशन, हमीरपुर-177001 को उनके पत्र संख्या: एचपी-एस0एस0-बी0-बी(2)-872 / 2015-10978, दिनांक 31.05.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 3 उप निदेशक-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 सम्बन्धित कर्मचारियों की निजी नस्तियों को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।
- 5 मुख्यालय में कार्यरत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6 नस्ति सं0 1-31 / 67-फिन[एल0ए0], सं0 1-158 / 73-फिन[एल0ए0] और सं0 1-253 / 74-फिन[एल0ए0] को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।
- 7 गार्ड नस्ति ।

20 JUN 2011

मीठा यात्रा

रमेश

(डी० डी० शर्मा)

आई० ए० एस०

विशेष सचिव (वित) एवं निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन न0 0177-2620887

